



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2018/ज्येष्ठ 4, 1940

No. 355]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2018/ JYAISTHA 4, 1940

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

सा. का. नि. 500 (अ).—राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद् द्वारा राष्ट्रीय पटसन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती नियम) विनियमन, 2017 में दिनांक 17 अप्रैल, 2017 के संशोधनों के साथ संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:

2. उक्त नियम में, अनुसूची में,-

(i) अनुसूची के क्रमांक 1 से 27 में उल्लिखित पदों के कॉलम (5) में, केंद्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित और अधिसूचित तथा एनजेबी को यथा प्रदत्त 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तदंतर पे मेट्रिक्स/लेवल के साथ 'पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान' को 'पे मेट्रिक्स में लेवल' निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए:-

(क) क्रमांक (1) से क्रमांक (3) के लिए: लेवल 13, 1,23,100-2,15,900 रुपए

(ख) क्रमांक (4) से क्रमांक (8) के लिए: लेवल 12, 78,800-2,09,200 रुपए

(ग) क्रमांक (9) से क्रमांक (12) के लिए: लेवल 11, 67,700-2,08,700 रुपए

(घ) क्रमांक (13) से क्रमांक (15) के लिए: लेवल 10, 56,100-1,77,500 रुपए

(ङ) क्रमांक (16) से क्रमांक (18) के लिए: लेवल 7, 44,900-1,42,400 रुपए

(च) क्रमांक (19) से क्रमांक (22) के लिए: लेवल 6, 35,400-1,12,400 रुपए

(छ) क्रमांक (23) के लिए: लेवल 5, 29,200-92,300 रुपए

- (ज) क्रमांक (24) से क्रमांक (25) के लिए: लेवल 4, 25,500-81,100 रुपए
- (झ) क्रमांक (26) से क्रमांक (27) के लिए: लेवल 2, 19,900-63,200 रुपए
- (ii) क्रमांक 4 से 12 में उल्लिखित पदों के कॉलम (9) में शब्द 'हां' के स्थान पर 'उम्र-कोई बाधा नहीं और अर्हता- पढ़ा जाए-
- (क) वित्त एवं लेखा विभाग से संबंधित पदों के लिए – वित्त/लेखा अथवा वाणिज्य में स्नातक डिग्री;
- (ख) विपणन विभाग से संबंधित पदों के लिए – व्यवसाय प्रबंधन/वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री;
- (ग) प्रशासन/सर्तकता विभाग से संबंधित पदों के लिए – किसी भी विषय में स्नातक डिग्री;
- (घ) तकनीकी विभाग से संबंधित पदों के लिए- सीधी भर्ती के लिए प्रावधान के अनुसार'।
- (iii) अनुसूची के क्रमांक 14 और 15 में उल्लिखित पदों के कॉलम 12 में, शब्द '8 वर्ष' .. को '9 वर्ष' पढ़ा जाए;
- (IV) अनुसूची के क्रमांक 13, 14, और 15 में उल्लिखित पदों के कॉलम 11 में, शब्द 'पदोन्नति द्वारा 75% और सीधी भर्ती द्वारा 25%' को 'पदोन्नति द्वारा 50% और सीधी भर्ती द्वारा 50%' पढ़ा जाए;
- (V) क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26 में उल्लिखित पदों के लिए कॉलम 8 में सीधी भर्ती स्तर के लिए अनुभव को वांछनीय पढ़ा जाए।
- (VI) अनुसूची के क्रमांक 24 में उल्लिखित पदों के कॉलम 12 में, शब्द 'विद्यमान एमटीए जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित 8 वर्ष के लिए एनजेबी/जेएमडीसी/एनसीजेडी के लिपकीय संवर्ग में कार्यरत हैं' को जोड़ा जाए।
- (VII) अनुसूची के क्रमांक 1 से 13 के पदों के लिए दोहरी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों (विशेष रूप से सीधी भर्ती) के विरुद्ध कनिष्ठ अधिकारियों की नियम विरुद्ध पदोन्नति नहीं की जा सकती। पदोन्नति पद और उनके फीडर पद निम्नलिखित अनुसार होंगे:

पदोन्नति पद	फीडर पद
निदेशक	संयुक्त निदेशक (एक कार्यक्षेत्र में)
संयुक्त निदेशक	उप निदेशक (एक कार्यक्षेत्र में)
उप निदेशक (विपणन/तकनीकी)	सहायक निदेशक (विपणन/तकनीकी)
उप निदेशक (वित्त/लेखा)	लेखा अधिकारी
उप निदेशक (प्रशासन)	सहायक निदेशक (सतर्कता)
सहायक निदेशक (विपणन)	अनुभाग अधिकारी

***टिप्पणी:** यदि आवश्यक हुआ, 2-3 सहायक निदेशक (विपणन) के पद अनुभाग अधिकारी के स्तर पर अस्थायी रूप से चलाए जाएंगे, जब तक कि पदधारी (अनुभाग अधिकारी) पदोन्नति के लिए पात्र न हो जाए।

टिप्पणी: भारत के राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 16 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 133(अ) के तहत प्रकाशित मूल नियम और भारत के राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 17 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 374(अ) के तहत प्रकाशित संशोधित अधिसूचना, को इन संशोधनों के साथ पढ़ा जाए।

[फा. सं. 2/1/2012-जेई/पटसन (भाग-II)]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2018

G.S.R. 500(E).— In exercise of the powers conferred by section 22 of the National Jute Board Act, 2008 (No. 12 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Jute Board Employees (Recruitment Rules) Regulations, 2017 alongwith its Amendments dated the 17th April, 2017, namely :-

1. In the said rules, in the Schedule,-
 - (i) In Column (5) of the posts mentioned at Sl. No. 1 to 27 of the Schedule, “ Pay Band and Grade Pay/Scale” may be read as “Level in the pay matrix” with the corresponding Pay Matrix/Levels of the 7th Central Pay Commission as approved and notified by the Central Government and as extended to NJB; as under:-
 - a. For Sl. No. (1) to Sl. No (3): Level 13, Rs.1,23,100 – 2,15,900/-
 - b. For Sl. No. (4) to Sl. No. (8): Level 12, Rs. 78,800 – 2,09,200/-
 - c. For Sl. No. (9) to Sl. No. (12): Level 11, Rs. 67,700 – 2,08,700/-
 - d. For Sl. No. (13) to Sl. No. (15): Level 10, Rs. 56,100 – 1,77,500/-
 - e. For Sl. No. (16) to Sl. No. (18): Level 7, Rs. 44,900 – 1,42,400/-
 - f. For Sl. No. (19) to Sl. No. (22): Level 6, Rs. 35,400 – 1,12,400/-
 - g. For Sl. No. (23): Level 5, Rs. 29,200 – 92,300/-
 - h. For Sl. No. (24) to Sl. No. (25): Level 4, Rs. 25,500 – 81,100/-
 - i. For Sl. No. (26) to Sl. No. (27): Level 2, Rs. 19,900 – 63,200/-
 - (ii) In Column (9) of the posts mentioned at Sl. no : 4 to 12 the word “Yes” May be read as.... “Age - No Bar & Qualification –
 - (a) For posts pertaining to Finance & Accounts Deptt. – Graduate Degree in Finance/ Accounts or Commerce;
 - (b) For posts pertaining to Marketing Deptt. – Graduate Degree in Business Management/ Commerce or Economics;
 - (c) For posts pertaining to Administration/Vig. Deptt. – Graduate Degree in any Discipline;
 - (d) For posts pertaining to Technical Deptt. – As provided for DR”.
 - (iii) In Column 12 of the posts mentioned at Sl. 14 & 15 of the Schedule, the word ‘... 8 years..’ May be Read as ‘... 9 years...’;
 - (iv) In Column 11 of the posts mentioned at Sl. 13, 14 & 15 of the Schedule, the word ‘75% By Promotion & 25% by Direct Recruitment’ May be Read as 50% By Promotion & 50% by Direct Recruitment’;
 - (v) In col. 8, for the posts mentioned at sl. no. 13,14,15,16, 17, 19,24,25,26 i.e. for direct entry level the experience may be read as desirable.
 - (vi) In Column 12 of the posts mentioned at Sl. 24 of the Schedule, the word... ‘Existing MTAs who have worked in the clerical cadre of NJB/JMDC/NCJD for 8 years with 10th pass’ may be added.
 - (vii) Double promotions will not be permitted for the posts at Sl. 1 to 13 of the Schedule, to ensure that anomalous promotion of juniors over their senior level officers (particularly direct recruit) does not take place. The promotion posts and their feeder posts will be as follows:

Promotion Post	Feeder Post
Director	Jt. Director(same field)
Jt. Director	Dy. Director(same field)
Dy Dir.(Mkt/Tech)	AD (Mkt/Tech)
Dy Dir(Fin./Acct)	Accounts Officer
Dy Dir (Admn)	AD(Vig.)
AD(Mkt)	Section Officer

***Note:** if needed, 2 - 3 AD (Marketing) posts will be operated temporarily at the level of Section Officer, till the time the incumbents (SO) become eligible for promotions.

Note: The principal rules published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number GSR 133(E), dated the 16th February, 2017 and the amendment notification published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number GSR 374(E) dated the 17th April, 2017 may be read together with these amendments.

[F. No. 2/1/2012-JE/Jute, (Part-II)]

A MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.